



JALAUN POLICE

दिनांक - 29.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित शाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 02 अभियोग में मान० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है -

प्रकरण प्रथम- अभियुक्त गंगाप्रसाद पुत्र गयादीन निवासी मु० गांधीनगर थाना गुरसराय जनपद झांसी द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होना तथा गैंग बनाकर अवैध असलाहों से लैस होकर आमजनमानस को डरा धमका कर वाहन चोरी की घटनाये कारित कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोतवाली कोंच में मु०अ०सं० 202/20 (वाद संख्या- 05/2021) धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 29.01.2025 को मा० न्यायालय जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त गंगाप्रसाद को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय- थाना कदौरा क्षेत्रान्तर्गत अवैध मादक पदार्थों (2 कि०ग्रा० गांजा) की तस्करी करते हुये पकड़े जाने पर अभियुक्त आसिफ उर्फ बब्लू पुत्र अल्लारखु निवासी ग्राम इस्लामाबाद थाना कदौरा जनपद जालौन के विरुद्ध थाना कदौरा में मु०अ०सं० 190/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 29.01.2025 को मा० न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त आसिफ उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।